<u>न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म0प्र0)

<u>प्रकरण क्रमांक 323 / 12</u> <u>संस्थित दिनांक —17 / 04 / 12</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना मलाजखण्ड़ जिला बालाघाट म0प्र0

...... अभियोगी

//विरूद्ध//

आशीष पिता सुनील सारवान उम्र 19 वर्ष निवासी टाउनशीप मलाजखण्ड थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::<u>निर्णय::</u> { दिनांक **02 / 05 / 2017** को घोषित}

- 1. आरोपी के विरूद्ध धारा—304(ए) भा.द.वि. एवं मो.या.अधि. की धारा 77/177 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 10/03/12 को समय शाम 05:50 बजे स्थान हाईस्कूल के सामने मलाजखण्ड आम रोड़ पर मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.50/एम.ई.—5001 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर गुहदडसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नही आता है एवं उक्त मोटरसाईकिल की नम्बर प्लेट पर आगे—पीछे मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन नम्बर का लेख नहीं किया।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को प्रार्थी मों इंतेशाम द्वारा मलाजखण्ड थाना में सूचना दी कि गुहदडिसंह को आरोपी आशीष द्वारा तेजगति से लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से बिना नम्बर की मोटरसाइकिल चलाकर ठोस मारा प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत को गंभीर चोट होना लेख करने पर धारा—338 भा.दं०सं० एवं मो.या. अधि की धारा 184 बढ़ायी गयी। गुहदडिसेंह को ईलाज हेतु रिफर किये जाने एवं सफर में गुहदडिसंह की मृत्यु होने से मर्ग क्रमांक 2/12 धारा 174 भा.दं०सं० कायम कर जांच की गयी। मर्ग डायरी अपराध में शामिल कर विवेचना की गयी विवेचना के दौरा साक्षियों के कथन, जप्ती, घटनास्थल का निरीक्षण कर मुलाहिजा कर प्रकरण में धारा 304(ए) भा.दं०सं० का इजाफा किया गया। आरोपी द्वारा वाहन के कागजात पेश करने पर अपराध सबूत पाये जाने से जप्ती की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफतार किया जाकर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष है तथा उसे झूटा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

2

- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 10/03/12 को समय शाम 05:50 बजे स्थान हाईस्कूल के सामने मलाजखण्ड आम रोड़ पर मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.50/एम.ई.—5001 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण ढंग से चलांकर गुहदंडसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त समय घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल की नम्बर प्लेट पर आगे—पीछे मोटरसाईकिल का रिजस्ट्रेशन नम्बर का लेख नहीं किया ?

ः:सकारण निष्कर्षःः

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, तथा 2

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 5. परिवादी मो0इंतेशाम (अ.सा.1) का कथन है कि वह आरोपी एवं मृतक गुहदडिसंह को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। उसके द्वारा घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी थी। उसके समक्ष कोई मौकानक्शा नहीं बनाया गया था और न ही उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही हुई थी परंतु पुलिस ने प्र.पी.01 एवं मौकानक्शा प्र.पी.02 एवं जप्ती कार्यवाही प्र.पी.03 के ए से ए भागों पर कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 01, मौकानक्शा प्र.पी.02 तथा जप्ती पत्रक प्र.पी.03 से इंकार कर पुलिस को प्र.पी.04 के कथन नहीं देना व्यक्त किया।
- 6. संतोष मरकाम (अ.सा.2) का कथन है कि वह आरोपी एवं मृतक गुहदडिसंह को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थीं और न ही उसके बयान लिये थे। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में मृत्यु जांच पंचनामा प्र.पी.05 एवं पंचायतनामा प्र.पी.06 पर उसके हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। साक्षी को प्र.पी.07 का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसे कथन देना अस्वीकार किया है।
- 7. सदाराम (अ०सा०३) का कथन है कि वह आरोपी एवं मृतक गुदडिसंह को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नही है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके बयान लिये थे। साक्षी को प्र.पी.

08 का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसे कथन देना अस्वीकार किया है।

- 8. बाबूराम (अ०सा०४) का कथन है कि वह आरोपी एवं मृतक गुदडिसंह को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नही है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं की थी परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को प्र.पी.09 का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसे कथन देना अस्वीकार किया।
- 9. धनियाबाई (अ०सा०५) का कथन है कि वह आरोपी आशीष को जानती है। घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से लगभग तीन साल पुरानी है। घटना दिनांक को उसका पित मलाजखण्ड में मजदूरी का काम करने गया था। मलाजखण्ड के एक लड़के ने उसे बताया कि उसके पित का एकसीडेण्ट हो गया है। तब उसने घटनास्थल पर जाकर देखी तो उसके पित का सिर फट गया था। उसके पित को अस्पताल में ईलाज के लिए भर्ती कराये थे जहां वह फौत हो गया था। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी।
- 10. डां. संगीता गुप्ता (अ०सा०८) का कथन है कि दिनांक 10.03.12 को एम.सी.पी.अस्पताल मलाजखण्ड में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापना के दौरान आहत गूहदडिसंह वल्के पिता पुजारी उम्र 40 वर्ष निवासी भीमजोरी को परीक्षण हेतु लाया गया था जिसके परीक्षण पर उसने पाया था कि आहत को चोट कमांक 01 सिर पर चोट थी उसके कान से खून बह रहा था एवं चोट कमांक 02 आहत के शरीर पर छिले हुए निशान थे और सिर के दाहिने भाग पर सूजन थी। आहत पूरी तरह से बेहोश था। आंख की पुतिलयां फैली हुई एवं स्थिर थीं। आहत की हालत गंभीर थी जिसे आगे उपचार हेतु रिफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.14 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त संबंध में साक्षी के द्वारा घटना की सूचना थाना मलाजखण्ड को दी गयी थी जो प्र.पी.15 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।
- ा. डां. मेश्राम (अ०सा०६) का कथन है कि दिनांक 10.03.12 को सी.एच. सी बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापना के दौरान थाना मलाजखण्ड के आरक्षक लिखेश्वर कमांक 223 द्वारा मृतक गुहदडिसंह वल्के पिता पुजारी उम्र 40 वर्ष निवासी भीमजोरी के शब को परीक्षण हेतु लाया गया था। शव की पहचान मृतक के भाई दामिसहं तथा दोनों बहन दामांद बोधीिसंह एवं भगतिसंह द्वारा की गयी थी। जिसके परीक्षण पर बाएं कंधे, बाई एवं दाहिनी पलक, माथे के बायें भाग, चेहरे के दाहिने भाग तथा बायें कुल्हे पर चोट पायी थी और नाक के दोनों और खून बह रहा था। साक्षी के अनुसार मृत्यु का कारण कोमा था जो बाएं टेम्पोरल भाग के मिस्तिस्क के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप हुई थी। मृत्यु 12—24 घण्टे के भीतर की थी।

उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 12. मनोज मेश्राम (अ०सा०९) का कथन है कि उसने थाना मलाजखण्ड के अपराध कमांक 39 / 12 के मामले में जप्त वाहन बिना नम्बर की मोटरसाइकिल करिज्मा का परीक्षण करने पर क्लच, ब्रेक और बाडी ठीक हालत में, हेण्डल तिरछा, सामने की लाईट टूटी तथा बंद हालत में एवं इंजन कवर टूटा हुआ पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.16 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- जैनेन्द्र उपराडे (अ०सा०७) का कथन है कि वह दिनांक 10.03.2012 13. को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मर्ग इंटीमेशन की रिपोर्ट कमांक 08 / 12 प्राप्त होने पर मर्ग इंटीमेशन की रिपोर्ट के आधार पर एक बिना नंम्बर की काले रंग की मोटरसाईकिल के चालक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मोटरसाईकिल के चालक आरोपी आशीष पिता सुनील के विरूद्ध अपराध क्रमांक 79/12 धारा 279, 337 भा.दं०सं० का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से गवाह इंतेशाम, बाबूलाल के समक्ष एक पुराने रंग की साईकिल जिस पर एक थैला, दो चप्पल, मंकी टोपी फ्रेम नम्बर डी-667754 चैनकवर मडगार्ड एवं स्टेंड में नीला रंग लगा, फ्रेम पर गुदडसिंह वल्के लिखा तथा काले रंग की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी इंतेशाम के बयान उसके बताये अनुसार लेख किया गया था।
- 14. जैनेन्द्र उपराडे (अ०सा०७) का कथन है कि मृतक गुहदडिसंह का मृत्यु पंचनामा प्र.पी.०५ के अनुसार तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्र.पी.०६ के अनुसार नक्शा पंचनामा तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 11.03.12 को साक्षी संतोष के बयान उसके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 12.03.12 को आरोपी आशीष से मोटरसाइकिल मय दस्तावेजों के जप्त कर प्र.पी.11 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी आशीष को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी. 12 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन का परीक्षण मनोज मेश्राम से कराया गया था एवं न्यायालय के आदेशानुसार उक्त वाहन को सुपुर्दनामा पर आरोपी आशीष को दिया गया था। उसके द्वारा दिनांक 11.03.12 को साक्षी संतोष मरकाम की निशांदेही पर मर्ग क. 8/12 का मौकानक्शा प्र.पी.13 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर साक्षी संतोष मरकाम के हस्ताक्षर हैं। मृतक का शव परीक्षण उसके द्वारा तैयार किया गया था जो प्र.पी.10 है जिसके बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 12.03.12 को साक्षी धनियाबाई, नरेन्द्र, बोधिसिंह, दामिसंह, बाबूलाल, सदाराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उसके द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 338 भा.दं०सं०, गुदडिसंह की मृत्यु उपरांत धारा 304ए भा.दं०सं० एवं आरोपी द्वारा बिना रिजस्ट्रेशन नम्बर के वाहन चालने से मो.या.अधि की धारा—77 / 177 का इजाफा किया गया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 15. साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। सभी साक्षियों ने घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी न होना व्यक्त कर अपने पुलिस कथनों तथा कार्यवाही से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती।
- उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा ध ाटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा ६ ाटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। किसी भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्व ारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा पूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर गुहदडसिंह को चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित की। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वाहन चालन ही प्रमाणित नहीं हुआ है तथा मो.या.अधि. के आरोपों पर कोई विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में मात्र विवेचना अधिकारी के कथनों के आधार पर उक्त संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।
- 17. अतः अभियुक्त आशीष पिता सुनील सारवान को भा.दं०सं० की धारा— 304ए एवं मो.या.अधि.की धारा 77/177 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 19. प्रकरण में जप्तशूदा संपत्ति वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक क्रमांक एम.

शा० वि० आशीष

पी.50 / एम.ई.—5001 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अविध के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।

18. आरोपीगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

ALINATA PAROLE SULTIN ACTOR SULT ACTOR SULTIN ACTOR SULTIN ACTOR SULTIN ACTOR SULTIN ACTOR SULTI